Sir, I urge the Government of India for establishment of a robust cancer screening facilities across the country at the district level that can make significant strides towards combating this deadly disease and ensuring healthier future of our nation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for connecting the entire area of Dehradun with rail service

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड के जनपद देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र में रेलवे सुविधा न होने से जनता को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ।

देहरादून जनपद में, देहरादून तथा ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है और वहाँ से अनेक रेलगाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है, परन्तु देहरादून से ऋषिकेश तथा देहरादून का बड़ा क्षेत्र पछुवादून, जिसमें विकासनगर (डाकपत्थर) है, आज भी रेल सेवा से वंचित है।

अतः मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से विकासनगर, देहरादून तथा ऋषिकेश के बीच नई रेल लाईन बिछाई जाए, जिससे देहरादून के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को रेल सेवा का लाभ मिल सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for making law to ban the use of social media by children below 16 Years of age

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : महोदय, बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की बढ़ती लत आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल उनकी शैक्षणिक प्रगति को बाधित कर रही है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हो। विधेयक के अनुसार

सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि उपलब्ध सामग्री उपयोगकर्ता की उम्र-सीमा के हिसाब से हो। यह बच्चों के माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे में अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो जुर्माना माता-पिता या बच्चों पर न होकर, यह सोशल मीडिया और टेक कंपनियों पर होना चाहिए। यह एक अनुकरणीय कदम है और विश्व स्तर पर इस फैसले का व्यापक स्वागत हो रहा है।

भारत जैसे देश में, जहाँ सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, यह आवश्यक है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इसके तहत, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे उपयोगकर्ता की आयु का सत्यापन करें और अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस दिशा में पहल करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का कानून बनाने पर विचार करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Concerns over road accidents in India

SHRI BRIJ LAL (UTTAR PRADESH): Sir, in 2022, road accidents killed nearly 1,70,000 people in India while 4,23,158 people were injured. The number of fatalities, the highest in the world, rose ten per cent over 2021. The country recorded 4,46,788 road crashes during the year -- eleven per cent more than 4,03,116 in 2021. In terms of fatalities, China is next on the lid but with less than half the deaths at 61,000. India accounts for nearly 14 per cent of global deaths due to road accidents and an estimated 3 per cent of GDP is lost every year.

Over-speeding and careless driving, accounts for over 87 per cent of the road crashes and fatalities, according to data from the NCRB. Driving under the influence of alcohol or drugs was the reason for 17 per cent crashes. 19.5 per cent deaths were caused when a vehicle was hit from the back followed by hit-and-run at 18.1 per cent and head-on collision at 15 per cent. National highways, making up 2 per cent of India's road length, accounted for 30.5 per cent of the accidents and 35 per cent of